



रायपुर 15-09-2023



MUNICIPAL CORPORATION, RAIPUR
OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION

छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 135 एवं धारा 138 के तहत एम.आई.सी. के संकल्प क्र- 22 पारित दिनांक 28.07.2023 एवं सामान्य सभा के संकल्प क्र- 27 पारित दिनांक 18.08.2023 के अनुसार बकाया कर / किराया की राशि पर अधिभार की नई दरें स्वीकृत की गयी है जो निम्नानुसार है:-

भुगतान माह		अधिभार %
अप्रैल	-	5+1=6%
मई	-	5+2=7%
जून	-	5+3=8%
जुलाई	-	5+4=9%
अगस्त	-	5+5=10%
सितम्बर	-	5+6=11%
अक्टूबर	-	5+7=12%
नवम्बर	-	5+8=13%
दिसम्बर	-	5+9=14%
जनवरी	-	5+10=15%
फरवरी	-	5+11=16%
मार्च	-	5+12=17%

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 के नियम 12 छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवन / भूमि के कर....) नियम 2021 के अनुसार (9) यदि नगर पालिक निगम वित्तीय वर्ष के लिए यदि कोई निर्णय नहीं लेता है तो विगत वर्ष में जारी दरें ही आने वाले वर्ष के लिए लागू रहेगी, जिसके अनुसार अब तक कार्यवाही की जाती रही है। उपरोक्तानुसार दिनांक 18.08.2023 को सामान्य सभा द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों के लिए टैक्स पर अधिभार की गणना की जावेगी। यह निर्णय विगत वर्षों के टैक्स पर लिये जा रहे अधिभार पर लागू नहीं होगा।

घरों से निकलने वाले सूखा और गीला कचरे को सफाई मित्र (याहन) को दें

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिका निगम
रायपुर (छ.ग.)